प्रेस नोट

दीव जिला की मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु दूसरा विशेष चुनावी शिविर का आयोजन

दीव जिला की आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 09 मार्च, 2014 को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए जो विशेष शिविर आयोजित किया गया था, उसमें जिन मतदाताओं ने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करा पाये हैं, उन्हें फिर एक अवसर देने के लिए दिनांक 16/03/2014 (रविवार) को प्रात: 09.30 बजे से लेकर सायं 05.00 बजे तक जिला के प्रत्येक मतदान केन्द्र (Polling Station) पर दुबारा विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है ।

इसलिए दिनांक 01/01/2014 तक जिन व्यक्तियों की उम्र 18 या इससे अधिक है और मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ है, उनसे फिर एकबार अनुरोध किया जाता है कि वे 16/03/2014 (रविवार) को अपने मतदान केन्द्र पर अवश्य जाकर बुथ लेबल अधिकारी के पास फॉर्म-6 भरकर जमा करें, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जा सके एवं उन्हें मतदान करने का अधिकार मिल सके ।

साथ ही दीव जिला के सभी बुथ लेबल अधिकारियों के लिए दिनांक 15/03/2014 को 12:00 बजे समाहर्तालय में एक बैठक का आयोजन किये जाने की सूचना दी गई है ।